(258)

समक्ष में, श्रीमान् मान्नीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी 45-III-15

5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

लाला केवट पिता मानसाय केवट निवासी ग्राम चोलना पो0 चोलना तहसील जैतहरी जिला अनूपपुर (म0प्र0) ....आवेदक / गैरनिगराकार

बनाम

श्रीराम केवट पिता करन सेन केवट निवासी ग्राम चोलना पो0 आ0 चोलना थाना व तह0 जैतहरी जिला अनूपपुर (म0प्र0) ....अनावेदक / निगरानी कर्ता

मुकेश भार्गव, अभि0 द्वारा आज दि. 8-1-15 को प्रस्तुत
लिपिक 8-1-15
राजस्व मण्डल

<u>निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् कलेक्टर महोदय अनूपपुर जिला अनूपपुर (म0प्र0) बावत्।</u>

<u>राजस्व प्रकरण क्र0 27 / निगरानी / 2010–11</u>

<u>आदेश दिनांक 28.11.2014</u>

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0</u>

मुकेश भार्गव
8-1-15 एडवोकेट
ग्वालियर

मान्यवर,

आवेदक / गैरनिगराकार नीचे लिखे अनुसार निगरानी प्रस्तुत करता है :–

<u>प्रकरण के तथ्य :–</u>

ग्राम चोलना तहसील जैतहरी जिला अनूपपुर म0प्र0 अंतर्गत स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 175 रकवा 26.24 एकड़ म0प्र0 शासन के अभिलिखित स्वामित्व कि भूमि थी जो काबिल कास्त की भूमि है। उक्त भूमि के आंशिक रकवा 6.14 एकड़ को दिनांक 24.10.1975 के माध्यम से पटवारी द्वारा लाल स्याही से चरनोई की भूमि होना दर्ज किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1978–79 के बाद चरनोई की भूमि को खसरे में खसरा नम्बर 175/1 रकवा 6.14 एकड़ के रूप में तथा शेष भूमि को 175/2 के रूप में इंद्राज किया जाने लग गया था। खसरा नम्बर 175 मे दर्ज चरनोई की रकवा 1.14 एकड़ को छोड़कर शेष भूमि किसानों के कब्जे दखल में रहा है जिस कारण वर्ष 1980–81 से 84–85 के दरमियान उक्त भूमि के आंशिक रकवा का व्यवस्थापन क्रमशः बाला केवट, रामजियावन, मुड़िया, सुदर्शन, ननकू व अमान के नाम पर स्वीकृत किया जाकर उनका नाम राजस्व अभिलेखों में क्रमशः खसरा नम्बर 175/3, 175/4 175/5, 175/6, 175/7, 175/8 के रूप में इंद्राज किया जाने लग गया है।

-2-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–45–तीन/2015 जिला–अनूपपुर

लाला केवट विरूद्ध श्रीराम केवट

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
15–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर अनूपपुर, जिला–अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 27/निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 28–11–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण सं आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 10–05–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 15/3/19 सदस्य	